

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

०९

/2024-25 दिनांक २४ जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती भावना रानी, स0अ0	21.8.2020	आर्यकन्या पाठशाला इंका0 मिर्जापुर	पी0डी0ए0 गर्ल्स इण्टर कालेज मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 1475-85

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दीपक कुमार, स0अ0	14.9.2019	महर्षि शुकदेव इं0का0 मुजफ्फरनगर	राजा भरत सिंह इं0का0 बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1486-95

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(अमचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मणिकांत, स0अ0	03.12.2021	जनता इं0का0 रतनपुर जौनपुर	राजा हरवंश सिंह इं0का0 बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 1496-1505

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

०६

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री शहजाद अली, स0अ0	24.2.2021	गांधी विद्यालय इं0का0 अमेठी	डी0एस0एम0 इं0का0 मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 1506-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामध्वेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

०९

/2024-25 दिनांक 28 - जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनिल कुमार, स0अ0	27.11.2021	समाज सेवक इ0का0 मऊ	जनता इ0का0 मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1516-25

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

10

/2024-25 दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आनन्द कुमार, स0अ0	04.2.2021	नेहरू इं0का0 सिद्धार्थनगर	रामरतन इं0का0 मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 1536-45

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(रामप्रसेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

11

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कुलदीप सिंह, स0अ0	06.1.2022	डी0ए0वी0 इण्टर कालेज बलिया	सार्वजनिक इं0का0 बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1546-55

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

12

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री चन्द्रशेखर, स0अ0	15.2.2021	डा0 सैयद महमूद इं0का0 गाजीपुर	लखौरी इं0का0 सम्मल	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1556-65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

13

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री डालचंद सिंह, स0अ0	08.2.2021	जिला पंचायत इ0का0 प्रयागराज	किसान इ0का0 अमरोहा	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1566-75

/2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य ।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक ।
- 6- गार्ड पत्रावली ।

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,
प्रयागराज ।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

14

/2024-25 दिनांक 26 - जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजेश कुमार, स0अ0	17.2.2005	किसान इंटर कालेज सहारनपुर	आचार्य मुक्तेश हकीम रईस सरस्वती इंटर कालेज सम्मल	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1576-85

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

15

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजय कुमार सिंह, स0अ0	15.2.2021	बी0आर0इंटर कालेज हरैया बस्ती	सार्वजनिक आर्य इंटर कालेज फीना बिजनौर	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 15 B 6-95

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

16

/2024-25 दिनांक 28 - जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजेश सिंह, स0अ0	27.12.2011	किसान इण्टर कालेज तिलफरा सहारनपुर	श्री कृष्ण इण्टर कालेज मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1596-1605

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(सामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

17

/2024-25 दिनांक 28-जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्राची सक्सेना, स0अ0	29.11.2021	महर्षि निशंक इण्टर कालेज नवादा कन्नौज	बल्देव आर्य कन्या इंटर कालेज मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1606-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

18

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सैयद आबिद रजा स0अ0	10.2.2021	सन्त नागा निरंकारी पब्लिक इंटर कालेज हिसामपुर कौशाम्बी	विद्या निकेतन इंटर कालेज मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1616-25

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

19

/2024-25 दिनांक 28- जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कामेन्द्र सिंह, स0अ0	29.11.2021	परीक्षितगढ इंटर कालेज मेरठ	हिन्दू इंटर कालेज नगीना बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1626-35

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

20

/2024-25 दिनांक 26 - जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कृष्णपाल स0अ0	09.12.2021	सर्वोदय इंटर कालेज किसौली सम्भल	रोशन उ0मा0वि0 रामपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1636-45

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

21

/2024-25 दिनांक

28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आशीष कुमार स0अ0	01.7.2022	मणिनाथ इंटरमीडिएट कालेज देवरिया	श्रीमती सुखदेवी इंटर कालेज हसनपुर अमरोहा	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1646-55

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

30

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सोनू गौतम, स0अ0	23.11.2021	जी0आर0बी0इंटर कालेज नोनापार देवरिया	चंदौसी इंटर कालेज सम्मल	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 1736-45

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचैत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

31

/2024-25 दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सुशीला देवी, स0अ0	12.11.2021	डी0ए0वी0 इण्टर कालेज बांदा	हिन्दू इंटर कालेज किरतपुर बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1746-55

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(शमचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

32

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आलोक कुमार, स0अ0	23.11.2021	जनता इंटर कालेज जूनावई संभल	मूर्ति देवी सरस्वती इंटर कालेज नजीबाबाद बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1756-65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

33

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती डोली स0अ0	27.11.2021	आदर्श उ0मा0वि0 विधूना औरैया	जनता इंटर कालेज महुआ बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1766-75

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(सुमिंत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

34

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कुन्दन सिंह, स0अ0	31.12.2011	शेरवानी इंटर कालेज कासगंज	जनता इंटर कालेज सैफनी रामपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1776 - 85

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

35

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रजत तेजा स0अ0	06.12.2021	कुटीर इंटर कालेज चक्के जौनपुर	इंटरमीडिएट कालेज चंदवाली संभल	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1786-95

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

36

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती कैसर जमाल, स0अ0	01.12.2021	दयानन्द वैदिक इंटर कालेज नगीना बिजनौर	इंटर कालेज अस्करीपुर बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1796-1805

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचैत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

37

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रदीप कुमार सिंह, स0अ0	01.7.2017	बी0एन0इंटर कालेज हरदोई	एच0एस0बी0इंटर र कालेज मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1606-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(प्रमचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

36

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुनील कुमार, स0अ0	06.1.2011	श्री काशीराज महाविद्यालय इंटर कालेज भदोही	पब्लिक इंटर कालेज सहसपुर बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 1816-25

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

39

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रचना रानी सहायक अध्यापक	06-03-2012	प्रेम इंटर कालेज बराल बुलंदशहर	आर्य वैदिक कन्या इंटर कालेज बिजनौर	रिक्त के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

1826-35

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

५०

/2024-25 दिनांक

28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री ललित कुमार सारस्वत, प्रवक्ता-हिन्दी	01.09.2022	महात्मा गांधी स्मारक इण्टर कालेज अरनावली मेरठ	श्रीमती सुखदेवी इण्टर कालेज हसनपुर अमरोहा	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1636-45

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विशय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

५१

/2024-25 दिनांक 28 - जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विमल कुमार, स0अ0	03.12.2021	इंटर कालेज अस्करीपुर बिजनौर	महाराजा अग्रसेन इंटर कालीज मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1846-55

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

५२

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री भूपेन्द्र कुमार स0अ0	17.8.2019	श्री उमा प्रसाद सिंह दामोदर दास इंटर कालेज गोरखपुर	श्री चौ0 बल्देव सिंह उच्चतर माध्यमिक वि0 बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1856-65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(संमचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

५३

/2024-25 दिनांक २४ जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रोहित कुमार, स0अ0	23.12.2021	सुखनंदन इंटर कालेज मठमुहम्मदपुर मऊ	ए0के0जी0इंटर कालेज अमरोहा	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

१८६६-७५

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

५५

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अर्चना सिंह स0अ0	29.8.2017	हीरा देवी तोताराम कन्या इंटर कालेज सम्भल	आर0जी0एन0पी0इंटर कालेज बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1876-85

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

५५

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सितिन कुमार, स0अ0	01.12.2021	राष्ट्रीय इण्टर कालेज जमुहाई बिजनौर	कृषक जनता इंटर कालेज बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 1866-95

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(समर्पित)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

५६

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शालिनी भारती, स0अ0	17.7.2017	सुशीला कन्या इंटर कालेज गाजियाबाद	रामचन्द्र शर्मा कन्या इंटर कालेज चंद्रनगर मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

1896-1905

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

५७

/2024-25 दिनांक

28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दीपक कुमार जोशी सहायक अध्यापक	19-02-2021	अमर शहीद इंटर कालेज मैनपुरी	आर0जी0एन0पी0 इंटर कालेज ताजपुर बिजनौर	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

1906-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

५४

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
मो0इंदरिश सहायक अध्यापक	04-08-2020	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करेहवा प्रयागराज	किसान उपकारक इण्टर कालेज संभल	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।


पू0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

1916-25

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचैत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

५९

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री धीरज कुमार सहायक अध्यापक	07-07-2020	आदर्श इंटर कालेज रेहारी जौनपुर	एम0एम0 इंटर कालेज नगीना बिजनौर	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

1926-35

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

56

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दीपक कुमार सहायक अध्यापक	09-10-2023	स्त्यनामी विद्यापीठ इंटर कालेज रुदौली अयोध्या	जनता राष्ट्रीय इंटर कालेज सतुपुरा संभल	रिक्त के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

1996-2005 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

55

/2024-25 दिनांक

28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मधु रानी सहायक अध्यापक	08-05-2021	आदर्श इंटर कालेज दौलतपुर अमरोहा	डी0एस0एम0 इंटर कालेज कांठ मुरादाबाद	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

19 86-95

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

54

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती ईशा गौतम सहायक अध्यापक	06-08-2016	प्रभा देवी आदर्श कन्या इंटर कालेज मुरादाबाद	प्रताप सिंह हिन्दू गर्ल्स इंटर कालेज मुरादाबाद	रिक्त के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पू0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

1976-85

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

53

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री उत्तम कुमार सहायक अध्यापक	18-05-2017	श्री अलक्षेन्द्र इंटर कालेज श्रावस्ती	श्री आदर्श ग्रामीण इंटर कालेज चन्दक बिजनौर	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/ 1966-75 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(प्रमचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय /

52

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री वीरेन्द्र कुमार सहायक अध्यापक	01-12-2021	हरीराम ओंकार मल्ल खेतान इंटर कालेज कुशीनगर	चन्द्रमणि देव नागरी इंटर कालेज बिजनौर	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय /

1956-65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(सामन्वित)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

51

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री हरीश कुमार सहायक अध्यापक	20-12-2021	श्री लंगटू बाबा इण्टर कालेज बलिया	जनता किसान उ०मा०वि० पुरेनी बिजनौर	रिक्त के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा०)
उत्तर प्रदेश।

पृ०सं०:सामान्य(1)तृतीय/

1946-55

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

50

/2024-25 दिनांक

28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मुनीश कुमार सहायक अध्यापक	18-12-2021	पूर्णानन्द इंटरमीडियट कालेज दुबेछपरा बलिया	नेताजी सुभाष इंटर कालेज मिलक रामपुर	रिक्त के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पू0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

1936-45

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

57

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री जयवेन्द्र सिंह सहायक अध्यापक	21-10-2020	श्री गणेश विद्यालय इंटर कालेज ऐहार रायबरेली	भूतपूर्व सैनिक आदर्श इंटर कालेज कादराबाद बिजनौर	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

2006-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

58

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रूप चन्द, सहायक अध्यापक	17-02-2021	इंटर कालेज सुंदरपुर सहारनपुर	श्री गाँधी इंटर कालेज बास्टा बिजनौर	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/ 2016-25 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

59

/2024-25 दिनांक

28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री न्यूटन रस्तौगी सहायक अध्यापक	02-03-2021	किसान उपकारक इंटर कालेज भवालपुर संभल	जी0जी0 हिन्दू इंटर कालेज मुरादाबाद	रिक्त के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

2026-35

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

60

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री गौरीशंकर सैनी सहायक अध्यापक	01-07-2022	के0आर0रस्तौगी इंटर कालेज फ़र्रुखाबाद	जनता इंटर कालेज पतेई अमरोहा	रिक्त के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

2036-45

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

61

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0 मोनिका सिंह प्रवक्ता	12-11-2021	एस0बी0जे0 इंटर कालेज बिसावर हाथरस	शिव इंटर कालेज गजरौहा अमरोहा	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पू0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

2046-55

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

62

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री परवीन सिंह सहायक अध्यापक	19-05-2017	जनता इंटर कालेज मूढाखेड़ा अमरोहा	ऋषिकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटघर मुरादाबाद	रिक्त के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

2056-65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

63

/2024-25 दिनांक

28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रेनू गौतम सहायक अध्यापक	04-04-2012	श्री बल्लभ विद्यापीठ इंटर कालेज भैरोनाथ वाराणसी	बिहारी आदर्श कन्या इंटर कालेज कांठ मुरादाबाद	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

2066-75

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फत्रावली।


(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

64

/2024-25 दिनांक

28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती निधि सहायक अध्यापक	29-11-2021	चंदौसी इंटर कालेज संभल	कौशल्या कन्या इंटर कालेज मुरादाबाद	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पू0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

2076-85

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचंद्र)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

65

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री शैलेन्द्र शरण गर्ग सहायक अध्यापक	27-07-2021	सर्वोपयोगी इंटर कालेज पलसेड़ा अलीगढ़	सर्वोदय इंटर कालेज डिलारी मुरादाबाद	रिक्त के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/ 2086-95 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

66

/2024-25 दिनांक 20 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मुनेश सिंह, स0अ0	07.4.2012	श्री स्वामी सर्वानन्द इं0का0 नगला पैज परियर फिरोजाबाद	कामेश्वर इं0का0 निवाडखास मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2096-2105

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 69 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
सुश्री तरंग गम्भीर, स0अ0	13.12.2021	नरहरि बाबा इण्टर कालेज कर्णछपरा बलिया	वैदिक कन्या इण्टर कालेज बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2106-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

60

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री वीर सिंह, स0अ0	31.8.2019	आचार्य मुक्तेश हकीम रईस सरस्वती इ0का0 सम्भल	गोविन्द बल्लभ पंत उ0मा0विद्यालय शाहपुर तिगरी मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2116-25

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

82

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मैनपाल सिंह, स0अ0	06.2.2021	श्री बाबादयाल दास इं0का0 एको जालौन	कृषक इण्टर कालेज कोठी खिदमतपुर अमरोहा	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2256-65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

81

/2024-25 दिनांक

26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संजीव कुमार, स0अ0	26.11.2021	पं0त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी किसान इं0का0 आभूराम तुर्कवलिया गोरखपुर	सार्वजनिक आर्य कन्या इण्टर कालेज फीना बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

22 46-55

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

६०

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दिनकर सिंह स0300	25.11.2021	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इण्टर कालेज महराजगंज	श्री विदूर गुरु गृह इण्टर कालिज दारानगर विदुर कुटी बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2236-45

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

79

/2024-25 दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संजीव कुमार, स0अ0	04.7.2017	जनता इंटर कालेज सहारनपुर	एम0एम0इंटर कालेज नगीना बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2226-35

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

78

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री चन्द्रशेखर,स0अ0	04.8.2020	श्री हरीशंकर पाण्डेय इण्टरमीडिएट कालेज प्रयागराज	के0जी0के0इंटर कालेज मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2216-25

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

१७

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमित कुमार, स0अ0	01.4.2011	हर्ष चन्द इण्टर कालिज बरहज देवरिया	सार्वजनिक आर्य इण्टर कालिज फीना बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2266-15

/2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज ।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

76

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मोनिका, स0अ0	03.7.2017	श्री माधवानंद इण्टर कालेज, एटा	श्री अक्रूजी कन्या पाठशाला इण्टर कालेज संभल	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2196-2205

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

75

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रजनी, स0अ0	13.7.2017	पब्लिक इण्टर कालेज बिजनौर	एच0एस0बी0इण्टर कालेज मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांक संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2186-95

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

74

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अरविंद कुमार, स0अ0	08.6.2017	महर्षि दयानंद इंटर कालेज बागपत	श्री फकीर चन्द्र आर्य इंटर कालेज बढापुर बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।


पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2176-85

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

73

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नत्थू सिंह, स0अ0	23.8.2017	जनता जर्नादन इं0का0 भडकुडा चुनार मिर्जापुर	हिन्दु इण्टर कालिज नगीना बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2166-75

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

71

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री शशांक, स0अ0	29.11.2021	ज्ञान प्रकाश इण्टर कालेज भलुअनी देवरिया	हरिबाबा जनता इं0का0 गवाँ जनपद सम्मल	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2146-55

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

83

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शिवानी वार्ष्णेय, स0अ0-गृह विज्ञान	27.11.2021	श्री देवत्रय आदर्श इण्टर कालेज कर्णवास बुलन्दशहर	भरतिया म्यू0 गर्ल्स इण्टर कालेज चन्दौसी सम्भल	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2266-73

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

72

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुमीत कुमार शर्मा, स0अ0	17.11.2021	युग निर्माण विद्यापीठ इं0का0 मण्डकावली गुन्नौर सम्भल	महाराजा अग्रसेन इं0का0 मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2156-65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

69

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती ज्योति चौहान, स0अ0	01.12.2021	श्री शैल्य कुमार सिंह, इण्टरमीडिएट कालेज दिलीपनगर कुशीनगर	हरिशचन्द्र स्मारक इण्टर कालेज कासमपुर गढी बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।


पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2126-35

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

70

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विशेष कुमार भारद्वाज, स0अ0	22.11.2021	तिलक इण्टर कालेज फतेहपुर मऊ	इण्टरमीडिएट कालेज जमनाखास अमरोहा	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2136-45

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

28

/2024-25 दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अविनाश कुमार शर्मा सहायक अध्यापक	20-02-2021	श्री लोकमन दास उ०मा०वि० हरीरामपुर अलीगढ़	आदर्श इंटर कालेज कुटी अमरोहा	रिक्त के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा०)
उत्तर प्रदेश।

पृ०सं०:सामान्य(1)तृतीय/

1716-25

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

27

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री लक्ष्मण सिंह सहायक अध्यापक	09-12-2021	श्री ताराचन्द्र चतुर्वेदी इंटर कालेज झांझर बुलंदशहर	पी0जे0एम0 इंटर कालेज शेरकोट बिजनौर	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पू0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

1706-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

26

/2024-25 दिनांक 26 - जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अर्जुन सिंह सहायक अध्यापक	29-10-2020	कुबेर इंटर कालेज डिबाई बुलंदशहर	ऋषिकुल हायर सेकेन्डरी स्कूल मुरादाबाद	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/ 1696-1705 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

25

/2024-25 दिनांक

28- जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रेशू शर्मा सहायक अध्यापक	03-12-2021	राजा ज्वाला प्रसाद आर्य इंटर कालेज बिजनौर	हिन्दू इंटर कालेज चाँदपुर बिजनौर	रिक्त के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

1686-95

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा.निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(सम्मचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

23

/2024-25 दिनांक

28- जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शबाना परवीन सहायक अध्यापिका	03-10-2023	मदन मोहन कानोडिया बालिका इंटर कालेज फर्रुखाबाद	आर्य वैदिक कन्या इंटर कालेज बिजनौर	रिक्त के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

1666-75

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

24

/2024-25 दिनांक 28 - जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रितेश कुमार सहायक अध्यापक	01-12-2021	एस0एम0जे0ई0सी0 इंटर कालेज खृजा बुलंदशहर	शंकर भूषण शरण जनता इंटर कालेज संभल	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

1676-85

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

22

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अंजू सहायक अध्यापिका	09-12-2021	राम प्यारी आर्य कन्या इंटर कालेज चंदौसी संभल	आर्य कन्या इंटर कालेज मुरादाबाद	रिक्त के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

1656-65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

29

/2024-25 दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती स्वाति चौहान सहायक अध्यापिका	25-11-2021	सरस्वती कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बबराला संभल	आर0एम0एम0 इंटर कालेज भोलारामपुर बिजनौर	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

1726-35

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 231 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
डॉ० ओनम दयाल, स0अ0	19.11.2022	दयानन्द इण्टर कालिज सैदनगली अमरोहा	बल्देव आर्य कन्या इण्टर कालिज मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3746-55

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(सामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 232 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुनील कुमार स0अ0	12.3.2012	बेनी माधव गोपी नाथ इण्टर कालिज बखिरा सन्तकबीरनगर	इण्टर कालिज सादकपुर बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3756-65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

233

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजकुमार, स0अ0	12.7.2017	लाल बहादुर शास्त्री इं0का0 वीरगंज श्रावस्ती	पी0एल0जते0एस0रस्तोगी इं0का0 मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

3766-75

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

234

/2024-25 दिनांक

28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सौरभ, स0अ0-गृह विज्ञान	31.07.2020	चौधरी लाल सिंह इण्टर कालेज मदनपुर फिरोजाबाद	दयानन्द इण्टर कालेज सैदनगली अमरोहा	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2776-85

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

235

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती विभूति चौहान, स0अ0	03.11.2018	अमर चन्द्र कन्या इण्टर कालेज अतरौली अलीगढ	आर्य कन्या इण्टर कालेज मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

37 66-95

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 236 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नरेश कुमार उपाध्याय, स0अ0-विज्ञान	27.11.2021	जनता इण्टर कालेज नेवादा पैकौली बाजार, अम्बेडकरनगर	चौधरी जमुना दास इण्टर कालेज माटखेड़ा रामपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2796-3205 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 237 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रितु रूहेला, स0अ0	01.12.2021	रधुवीर सिंह किसान इण्टर कालिज सिम्भावली हापुड	पी0डी0ए0गर्ल्स इण्टर कालिज मण्डी बांस मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3606-15 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(समचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

238

/2024-25 दिनांक

28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री धर्मेन्द्र कुमार सैनी, स0अ0	12.11.2021	आर्य कृषक इण्टर कालिज पायन्दापुर मुरादाबाद	आर0एन0इण्टर कालिज मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

3816-25

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 239 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मुकेश कुमार, प्रवक्ता-रसायन विज्ञान	11.07.2011	गांधी स्मारक देवनागरी इण्टर कालेज परीक्षितगढ़ मेरठ	शिव इण्टर कालेज गजरौला अमरोहा	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3826-35 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

240

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कृष्णवि गर्ग, स0अ0	17.10.2020	विद्या मन्दिर कन्या इण्टर कालेज रामपुर	राजा ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या इण्टर कालेज बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

3836-45

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 241 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री ऋषिपाल सिंह, स0अ0-कृषि	25.08.2020	नेता सुभाष कृषि सैनिक इण्टर कालेज बांकी विनोदनगर मौलागंज महाराजगंज	रणजीत सिंह मेमोरियल इण्टर कालेज भोलारामपुर धामपुर बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3046-55

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

242

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री इन्द्रल सिंह, स0अ0	08.3.2021	श्री तिलक विद्यालय इण्टर कालिज फिरोजाबाद	किसान इण्टर कालिज जहाँगीरपुर मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3856-65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

243

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री लोकेश कुमार, स0अ0	06.5.2008	जैन विद्या मन्दिर इण्टर कालेज नहतौर बिजनौर	भूतपूर्व सैनिक आदर्श इण्टर कालेज कादराबाद बिजनौर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

3866-75

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

244

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सिम्मी शर्मा, प्रवक्ता	10.12.2021	स्वतंत्र भारत इण्टर कालिज सालारपुर हापुड	एस0एस0बी0इण्टर कालेज मुरादाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

3876-85

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

645

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मधुबाला त्यागी प्रधानाचार्य	13-05-2022	राजकला पी0दी0ए0 गर्ल्स इंटर कालेज मुरादाबाद	कौशल्या कन्या इंटर कालेज मुरादाबाद	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पू0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

8406-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

645

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मधुबाला त्यागी प्रधानाचार्य	13-05-2022	राजकला पी0दी0ए0 गर्ल्स इंटर कालेज मुरादाबाद	कौशल्या कन्या इंटर कालेज मुरादाबाद	रिक्ति के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:सामान्य(1)तृतीय/

8406-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।